(1)

संख्या 1542/का-3-2003-24/5/98

प्रेषक,

राजेन्द्र भौनवाल,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

निदेशक,
इंस्टीट्यूट आफ मैनेजमेंट, डेवलपमेंट,
उत्तर प्रदेश, सेक्टर-डी-अलीगंज,
लखनऊ।

कार्मिक अनुभाग-3

लखनऊ: दिनांक: 24जून, 2003

विषय:- उ0प्र0 प्रशासन एवं प्रबन्धन अकादमी की स्थापना ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि दीन दयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान बख्शी का तालाब, लखनऊ के परिसर में स्थापित उ0प्र0 प्रशासनिक अकादमी को उक्त परिसर से स्थानान्तरित कर इंस्टीट्यूट आफ मैनेजमेंट डेवलमेंट उत्तर प्रदेश, सेक्टर-डी, अलीगंज, लखनऊ में संविलीन व उसके परिसर में उ0प्र0 प्रशासन एवं प्रबन्धन अकादमी स्थापित किए जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है ।

2- उक्त अकादमी को एक सोसाइटी के रूप में संचालित किया जायेगा जिसका प्रबन्धन मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में बने बोर्ड आफ गवर्नर्स द्वारा किया जायेगा ।

3- उक्त अकादमी में भारतीय प्रशासनिक सेवा, प्रान्तीय सिविल सेवा तथा अन्य प्रान्तीय सेवाओं के अधिकारियों को शासन द्वारा निर्धारित पद्धति पर प्रशिक्षण दिया जायेगा । क्रमशः में संचालित होने वाले प्रशिक्षण पूर्ववत शुल्क सहित तथा भारत सरकार द्वारा प्रायोजित/वित्त पोषित प्रशिक्षण भी अकादमी में पूर्ववत चलाये जायेंगे ।

4- इंस्टीट्यूट आफ मैनेजमेंट डेवलमेंट उत्तर प्रदेश के निदेशक, उत्तर प्रदेश प्रशासन एवं प्रबन्धन अकादमी के महानिदेशक होंगे ।

5- उत्तर प्रदेश प्रशासनिक अकादमी बख्शी कातालाब लखनऊ में सृजित समस्त पद उत्तर प्रदेश प्रशासन एवं प्रबन्धन अकादमी में सृजित समझे जायेंगे ।

6- उत्तर प्रदेश प्रशासनिक अकादमी बख्शी का तालाब, लखनऊ के समस्त क्रिया कलाप उत्तर प्रदेश प्रशासन एवं प्रबन्धन अकादमी में हस्तान्तरित हो जायेंगे ।

-------2/-

7- उत्तर प्रदेश प्रशासनिक अकादमी बख्शी का तालाब लखनऊ की समस्त परिसम्पत्तियाँ उत्तर प्रदेश प्रशासन एवं प्रबन्धन अकादमी को स्थानान्तरित हो जायेंगी ।

8- उत्तर प्रदेश प्रशासन एवं प्रबन्धनअकादमी को बजट ब्लाक ग्रान्ट के रूप दिया जायेगा, जो झमडप को दिये जाने वाले बजट के अतिरिक्त होगा ।

9- उत्तर प्रदेश प्रशासन एवं प्रबन्धन अकादमी ~~में~~ में कोई भी अतिरिक्त पद शासन की पूर्व अनुमति के स्वीकृत नहीं किया जायेगा और न ही कोई नयी भर्ती शासन की पूर्व अनुमति से की जायेगी ।

10- उत्तर प्रदेश प्रशासन एवं प्रबन्धन अकादमी के प्रशासनिक एवं प्रबन्धन सम्बन्धी आदेश पृथक से निर्गत किए जायेंगे ।

11- यह आदेश वित्त विभाग के अ0शा0प0सं0 ई-5-1097/दस-2003 दिनांक-18-6-2003 द्वारा दिये गये सहमति से जारी किया जा रहा है ।

भवदीय,

ह0

॥राजेन्द्र भौनवाल॥
प्रमुख सचिव ।

संख्या 1542॥1॥/का-3-2003-24/5/98, तद् दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश ।
2- प्रमुख सचिव, मा0 मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश शासन ।
3- समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन ।
4- समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, ~~में~~ उत्तर प्रदेश ।
5- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश , इलाहाबाद ।
6- महानिदेशक, दीन दयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान बख्शी का तालाब लखनऊ/उत्तर प्रदेश प्रशासनिक अकादमी लखनऊ ।
7- निदेशक, उत्तर प्रदेश प्रशासनिक अकादमी, बख्शी का तालाब, लखनऊ ।
8- वित्त॥व्यय नियंत्रण॥अनुभाग-5, उत्तर प्रदेश शासन ।

आज्ञा से,

ह0

॥राजेन्द्र भौनवाल॥
प्रमुख सचिव।

प्रमाणित
सत्यापित
28-6-03
अनुभागअधिकारी
वरि0सचि0अनुभाग-5
उ0प्र0शासन